सिविल सेवकों की जवाबदेही: सुप्रीम कोर्ट का सवाल और सुधार की राह

प्रकाशित: 13 नवंबर 2026 · pcsmantra.com



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

13 नवंबर 2026: पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) के भुगतान से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2026 को पंजाब के मुख्य सचिव के विरुद्ध आपराधिक अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी और राज्य से मार्च 2027 तक भुगतान-योजना पेश करने को कहा; मामला दिसंबर में फिर सूचीबद्ध होगा। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्न और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही पर कई कड़े मौखिक सवाल उठाए, जिन्होंने सिविल सेवाओं के ढाँचे और उत्तरदायित्व की पुरानी बहस को एक बार फिर केंद्र में ला दिया।

पीठ की प्रमुख टिप्पणियाँ (मौखिक)

यह जानना जरूरी है कि ये सुनवाई के दौरान की गई **मौखिक टिप्पणियाँ** हैं - वे लिखित आदेश या निर्देश का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए इनका बंधनकारी कानूनी प्रभाव नहीं है; फिर भी वे न्यायपालिका की चिंता को दर्शाती हैं:

- **'विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग':** न्यायमूर्ति नागरत्न ने कहा कि असंगठित और कॉरपोरेट क्षेत्र के श्रमिकों की तुलना में सरकारी कर्मचारी एक 'विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग' (privileged class) हैं - उन्हें DA और अन्य भत्तों के साथ पेंशन भी मिलती है, जबकि मुफ्त योजनाएँ (फ्रीबीज) वंचित वर्गों के लिए होती हैं।
- **अनुबंध पर भर्ती का सुझाव:** उन्होंने कहा, "सरकारी सेवकों को अब अनुबंध के आधार पर आना चाहिए। तभी उनकी जवाबदेही होगी।"
- **जवाबदेही का सवाल:** "सरकारी सेवक की मृत्यु के बाद भी परिवारों को पेंशन मिल रही है। ... हर जगह लाल-फीता, काला-फीता। सरकारी सेवक की जवाबदेही कहाँ है?" यह भी कहा गया कि यदि कर्मचारी ईमानदारी से काम करें तो देश में मुकदमों की संख्या घटे।

- **मुख्य सचिव पर अवमानना पर रोक:** पीठ ने यह भी कहा कि मुख्य सचिव को इस तरह हाजिर कराना 'बाज़ु मोड़ने' (arm-twisting) जैसा है, और आपराधिक अवमानना की आगामी कार्यवाही स्थगित कर दी; साथ ही दीवानी अवमानना मामले में कोई कार्रवाई न करने को कहा। वर्तमान में DA 53 प्रतिशत की दर से दिया जा रहा है।

बहस का व्यापक संदर्भ

- **संवैधानिक सुरक्षा:** अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को मनमानी बर्खास्तगी से बचाता है - नियमित जाँच और सुनवाई के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता। यह सुरक्षा स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रशासन के लिए बनाई गई थी, पर आलोचकों के अनुसार इसका दुरुपयोग कार्य-निष्पादन की अनदेखी का ढाल बन गया है।
- **मौजूदा जवाबदेही-तंत्र:** सेवा-आचरण नियम, वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन (APAR), विभागीय जाँच, लोकायुक्त/निगरानी आयोग और सेवा-नियमों में अनुशासनात्मक प्रावधान - ये सब मौजूद हैं; समस्या कार्यान्वयन और गति की है।
- **अनुबंधीकरण की समीक्षा:** अनुबंध-आधारित भर्ती लचीलापन और निष्पादन-आधारित नवीनीकरण ला सकती है, पर इससे सेवा की स्थिरता, दीर्घकालिक विशेषज्ञता और राजनीतिक दबाव से स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है; पार्श्व (लैटरल) प्रवेश और मिशन कर्मयोगी जैसे प्रयोग इसी बहस के अन्य आयाम हैं।
- **पेंशन-बहस:** पुरानी पेंशन योजना (OPS), नई पेंशन प्रणाली (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के बीच चल रही बहस भी 'आजीवन सुरक्षा बनाम जवाबदेही' के इसी प्रश्न से जुड़ती है।

आयोगों और समितियों की दृष्टि

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005) सहित कई समितियों ने सिविल सेवा में निष्पादन-आधारित पदोन्नति, सेवा से बाहर निकालने की सरलीकृत प्रक्रिया (अक्षमता पर), स्पष्ट कार्य-मानक और नागरिक-चार्टर की सिफारिश की है। 'मिशन कर्मयोगी' (2020) भूमिका-आधारित क्षमता-निर्माण की दिशा में कदम है। इन सिफारिशों का सार है: सुरक्षा और जवाबदेही का संतुलन - सेवकों को मनमाने दबाव से बचाना भी जरूरी है और काम के लिए उत्तरदायी बनाना भी।

आगे की राह

सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणियाँ आदेश नहीं, चेतावनी हैं - प्रशासनिक व्यवस्था पर बढ़ते अविश्वास की। समाधान अनुबंधीकरण जैसे एकरस उपाय में नहीं, बल्कि कार्य-मानकों की स्पष्टता, समयबद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, ई-गवर्नेंस से विलंब की संभावना घटाने, और अच्छे प्रदर्शन के पुरस्कार तथा अक्षमता की वैधानिक विदाई - दोनों के संतुलन में है। साथ ही, 'राज्य एक आदर्श नियोक्ता हो' - यह सिद्धांत कर्मचारियों के समय पर वैध अधिकार (जैसे DA) दिलाने की दिशा में भी उतना ही लागू होता है। जवाबदेही का सवाल दोतरफा है: सेवक की निष्ठा की ओर भी और राज्य की उचित व्यवस्था की ओर भी।

> **संबंधित लेख:** परीक्षा-व्यवस्था की जवाबदेही पर यह रिपोर्ट भी पढ़ें: [परीक्षा की पहरेदारी: NTA के नए पर्यवेक्षक-पूल में सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के अधिकारी]

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अनुच्छेद सिविल सेवकों को मनमानी बर्खास्तगी के विरुद्ध कुछ संरक्षण प्रदान करता है